

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में विभिन्न स्तर की गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। राज्य में इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की 37 हजार से अधिक संस्थाएँ संचालित हैं। इन संस्थाओं का राज्य में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं की अनुभूत कठिनाइयों तथा विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए समय-समय पर अधिनियम एवं नियमों के दायरे में अनेक अधिसूचनाओं में संशोधन, नई आज्ञा एवं नए आदेश जारी किए गए हैं। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा तथा विभागीय कार्यालयों के कार्य को सुगम एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र 2016-17 से समस्त प्रकार की मान्यताओं को ऑनलाइन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2019-20 में ऑनलाइन मान्यता हेतु शैक्षिक संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों के लिए **करणीय कार्यों के सम्बन्ध में** विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किए गए हैं। यदि इन दिशा निर्देशों में और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों में कोई विसंगति पायी जाए तो मूल अधिनियम/नियम/ अधिसूचना /आदेश/परिपत्र ही मान्य होंगे।

अध्याय-2 : आवेदन एवं पात्रता

1. **आवेदन करना** – राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय, माध्यम परिवर्तन इत्यादि) के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। यह आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। मान्यता हेतु नवीनतम दिशा-निर्देश, आवेदन प्रारूप एवं टाईम फ्रेम पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।
2. **नवीन मान्यता, क्रमोन्नति एवं अन्य मान्यताओं हेतु पात्रता** – कोई भी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक (कक्षा 1-5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1-8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-1 नवीन मान्यता हेतु आवेदन का प्रारूप, नवीन मान्यता एवं सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी. ई./सी.ए.आई.ई. के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 1 (ए)), प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय, इत्यादि के लिए आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-2 क्रमोन्नति एवं स्थान, नाम इत्यादि के परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप)। इन समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें निम्नानुसार हैं :-
 - 2.1. **आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएँ** :- विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न परिशिष्ट-3 एवं सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई./सी.ए.आई.ई. के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 3 (ए) के अनुसार होगी।
 - 2.2. **शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द** :- विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द संलग्न परिशिष्ट-4 एवं सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई./सी.ए.आई.ई. के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 4 (ए) के अनुसार होंगे।
 - 2.3. **सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण** :-संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
 - 2.4. **सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य** :- संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।

- 2.5 **शुल्क** :- मान्यता हेतु लिए जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्कों का विवरण परिशिष्ट-5 (ए.बी.सी.डी) पर संलग्न है। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) के पद नाम से बनेगा तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से बनेगा। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का डी.डी. आवेदन पत्र के साथ ही देना होगा तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. तथा फिक्सड डिपोजिट की गयी राशि का विवरण आवेदन पत्र की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के बाद संस्था के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में ही देना होगा। इसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को समय पर सूचित किया जाएगा। समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर एवं मान्यता की जाँच में पात्र पाये जाने पर ही मान्यता जारी की जायेगी।
जो शिक्षण संस्थाएँ वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार से मान्यता के साथ ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सी.आई.एस.सी.ई./सी.ए.आई.ई. से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहती है, उन शिक्षण संस्थाओं को आवेदन करते समय निर्धारित शुल्क एवं विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। विलम्ब शुल्क रु. 75000/- (सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर) के नाम जमा करावें।
सभी प्रकार की मान्यता के लिए निर्धारित शुल्क के साथ संस्था द्वारा पोर्टल हेतु राशि रु. 1000/- डी.डी. के रूप में संबंधित निदेशक के नाम से जमा करानी होगी।
- 2.6 **शपथ पत्र** :- सोसाइटी द्वारा विद्यालय से सम्बन्धित दी जा रही प्रमुख सूचनाओं को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।
- 2.7 **विद्यालयों को दी जाने वाली छूट** :- गैर-सरकारी विद्यालयों को भूमि रूपान्तरण एवं अन्य छूट दिये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(2)शिक्षा-5/2010 पार्ट 03.07.2012,20.07.2012, 14.08.2012, 06.05.2013, 31.05.2013 एवं आदेश क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 द्वारा प्रदत्त छूट/शिथिलन यथावत रहेगी।

3. आवेदन की प्रक्रिया –

- 3.1. **विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना** – सभी प्रकार की मान्यताओं हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। सर्वप्रथम गैर सरकारी विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाएँ प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पीएसपी. कोड एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वयं का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। जिन गैर-सरकारी विद्यालयों के पास इस पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु पहले से ही पीएसपी. कोड एवं पासवर्ड उपलब्ध है, वे विद्यालय मान्यता हेतु भी उसी पासवर्ड से लॉगिन करें। इन विद्यालयों को नवीन पंजीयन नहीं करना है।
- 3.2. **विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि** – लॉगिन करने के बाद विद्यालय अपनी आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाएँ एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय, पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप पहले से ही भर कर तैयार रखें। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें।
- 3.3. **विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना** – मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है। (अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-7)। जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही स्केन कर के पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज पीडीएफ./जेपीजी. फॉर्मेट में होना तथा प्रत्येक दस्तावेज एक एमबी से कम साइज का होना आवश्यक है।
- 3.4. **आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना** – विभिन्न प्रकार की मान्यता के लिए शुल्क की राशि भी अलग-अलग है, अतः इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाएँ। मान्यता आवेदन शुल्क की राशि, आरक्षित कोष की राशि एवं पोर्टल हेतु राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग-अलग बनेंगे।
- 3.5. **आवेदन की हार्ड कॉपी को सम्बन्धित कार्यालय में भेजना** – समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि के बाद ही आवेदन को लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंटआउट पर विद्यालय

संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज (संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-8) संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 फोटो जो अपलोड किये गये हैं, भी लगावें। पूर्ण आवेदन पत्र को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को समय पर प्रेषित करें।

- 3.6 प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता/कमोन्नति/नाम/स्थान/वर्ग/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय को प्रेषित किये जाएंगे।
- 3.7 जो विद्यालय पहले से ही माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त हैं वे विद्यालय किसी भी स्तर के नाम/स्थान/माध्यम/वर्ग परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की कमोन्नति हेतु अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

अध्याय-3 : आवेदन पत्रों की जाँच

4. आवेदन पत्रों को कार्यालय में प्राप्त करना एवं ऑन लाइन जाँच करना-

- 4.1 संस्था द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन की पत्रावली को कार्यालय में प्राप्त करते समय पत्रावली में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं आवेदन में वर्णित एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों का ठीक से मिलान करे।
- 4.2 आवेदन पत्रों की जाँच का कार्य ऑनलाइन तरीके से किया जाना है। यह जाँच संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन तथा विद्यालय द्वारा कार्यालय में जमा करवाई गई पत्रावली के माध्यम से की जायेगी।
- 4.3 सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा दी गई मान्यता आवेदन शुल्क की राशि का मिलान करना है। ये जाँच लें कि आवेदन शुल्क की जितनी राशि आवेदन पत्र में अंकित है, उतनी राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उचित नाम से दिया गया है तथा ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक सही है, इसकी जाँच कर लें। एक से अधिक ड्राफ्ट होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में सभी ड्राफ्ट के विवरण की प्रविष्टि की गई है।
- 4.4 विद्यालय टीएसपी. अथवा नॉन टीएसपी. एरिया में है, इसकी भी जाँच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि मान्यता शुल्क की राशि इस विवरण के अनुसार सही है (विभाग के आदेशानुसार यदि लागू है)।
- 4.5 मान्यता आवेदन शुल्क की जाँच करने के पश्चात् ऑन लाइन आवेदन के समय संस्था द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का मिलान किया जाना है। ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेजों को खोलकर देख लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि सही दस्तावेज ही अपलोड किये गये हैं तथा इसकी प्रति विद्यालय की पत्रावली में उपलब्ध है।
- 4.6 मान्यता आवेदन शुल्क की राशि के ड्राफ्ट संबंधी अपूर्ण प्रविष्टियों अथवा सही राशि का ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं होने अथवा किसी दस्तावेज के अपलोड न होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में उसके सामने सही नहीं पाया गया का विकल्प चयन करें। इस विकल्प का चयन करते ही इस विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन में मान्यता आवेदन शुल्क विवरण एवं दस्तावेजों के अपलोड करने संबंधी क्षेत्र अनलॉक हो जाएंगे तथा इसकी सूचना विद्यालय को पोर्टल पर,एसएमएस. द्वारा एवं ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा भी ऐसे विद्यालयों को दूरभाष/मैसेज के माध्यम से अवगत करवाया जाना है।
- 4.7 विद्यालय की सूचना अनलॉक होने के बाद एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपूर्ण आवेदन की सूचना दिये जाने के पश्चात् आगामी निर्धारित समय सीमा में विद्यालय को अपनी ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति पूर्ण कर आवेदन का प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे जिससे विद्यालय की पत्रावली पूर्ण हो सके।
- 4.8 आक्षेप पूर्ति के लिये दिये गये ड्राफ्ट अथवा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की तिथियों के भी स्वीकार किये जाएंगे। एक बार आक्षेप लगने के बाद निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया जाएगा तथा इसकी सूचना संस्था को एन.आई.सी. द्वारा पोर्टल पर एवं मैसेज द्वारा दे दी जाएगी।
- 4.9 जिन विद्यालयों की मान्यता शुल्क एवं अपलोड किये गए दस्तावेजों की प्रविष्टियाँ सही पायी जाती हैं, उन विद्यालयों के लिये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की अन्य प्रविष्टियों की ऑनलाइन जाँच की जा सकेगी।

- 4.10 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों में किसी दस्तावेज के संलग्न नहीं होने या अपूर्ण पाये जाने पर आक्षेप की सूचना विद्यालय को पोर्टल पर, एसएमएस. द्वारा एवं ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी लेकिन विद्यालय को सभी आक्षेपों की पूर्ति निरीक्षण के समय तक करनी अनिवार्य होगी। संलग्नकों के संबंध में जो भी कमी पायी गयी है, उसका विवरण निरीक्षण के प्रपत्र में भी दिया जाएगा।

अध्याय-4 निरीक्षण दल गठन एवं निरीक्षण

- 5. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का ऑनलाइन गठन:-**
- 5.1 संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन निदेशालय द्वारा गठित दल द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण दल का गठन ऑनलाइन तरीके से किया जायेगा।
- 5.2 विद्यालयों के निरीक्षण के लिये दल गठन का कार्य उसी स्थिति में प्रारम्भ हो सकेगा जब उस जिले में मान्यता हेतु आवेदन करने वाले एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन सही पाये जाने वाले विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में निरीक्षण कर्ताओं के नामों का चयन कर लिया गया है।
- 5.3 निरीक्षण कर्ताओं के नामों का चयन जिला शिक्षा अधिकारियों के लॉगइन से शाला दर्पण में उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा।
- 5.4 प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं अतः प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के लिये आवश्यकतानुसार राजपत्रित अधिकारियों का चयन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के लॉगइन से शाला दर्पण के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिये जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) अपनी आवश्यकता का पत्र जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को दे दें।
- 5.5 कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचनाओं के ऑनलाइन मिलान के समय मान्यता आवेदन शुल्क एवं अपलोड किये गये दस्तावेजों के विवरण के सही पाये जाने तथा संलग्न किये गये दस्तावेजों के मिलान संबंधित कार्य के पूर्ण होने पर इन विद्यालयों के लिये निरीक्षण हेतु दलों का गठन स्वतः ही हो जाएगा। निरीक्षण दल के सदस्यों को इसकी सूचना एसएमएस. द्वारा प्रेषित कर दी जावेगी तथा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय द्वारा आदेश एवं वाट्सएप के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
- 5.6 प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दल में कुल दो सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./माशि., कार्यालय जिशिअ. मुख्यालय/अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय/प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि./प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/वरिष्ठ अध्यापक को लगाया जाएगा।
- 5.7 माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 03 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य उमावि./अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./माशि., कार्यालय जिशिअ. मुख्यालय/समकक्ष अधिकारी एवं दल के प्रथम सदस्य के रूप में व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मावि./समकक्ष अधिकारी एवं दल के द्वितीय सदस्य के रूप में एक लेखा संबंधित कार्मिक/मंत्रालयिक कर्मचारी लगाया जाएगा।
- 5.8 एक दल द्वारा अधिकतम दो गैर सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जा सकेगा।
- 6. विद्यालय का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन:-**
- 6.1 निरीक्षण दलों को ऑनलाइन निरीक्षण आदेश के 7 दिवस या निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि, जो भी पहले हो तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। निरीक्षण/सत्यापन के बाद अगले कार्यदिवस को निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि तक निरीक्षण प्रपत्र जमा नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 6.2 निरीक्षण दलों को सामान्यतः बदला नहीं जायेगा। केवल निरीक्षण दल के सदस्यों की मृत्यु, स्थानान्तरण, पदोन्नति पर अन्यत्र कार्यग्रहण अथवा गंभीर बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में ही निरीक्षण दल बदला जा सकेगा। इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय को दी जाएगी तथा निदेशालय द्वारा तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में नये निरीक्षण दल का गठन ऑन लाइन तरीके से किया जायेगा।
- 6.3 निरीक्षण कर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित कार्यालय में जमा करानी होगी।
- 6.4 विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का निरीक्षण करना है। निरीक्षण/सत्यापन दल को सत्यापित तथ्यों एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मान्यता के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा करनी होगी।
- 6.5 निरीक्षण दलों से प्राप्त रिपोर्ट को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय द्वारा तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा सत्यापन रिपोर्ट में दल द्वारा दिये गये अभिमत/सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी।
- 6.6 निरीक्षण दल द्वारा सत्यापित/ दी गई सूचनाओं के संबंध में कोई विसंगति या भिन्न स्थिति पायी जाती है तो निरीक्षण दल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अध्याय-5 मान्यता अनुमोदन

7. **मान्यता का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना:-**
- 7.1 निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदनों का जिला शिक्षा अधिकारी भली-भांति अध्ययन कर लें। प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ऑनलाइन प्रविष्टि कर दें तथा अपना अभिमत भी दर्ज कर दें।
- 7.2 मान्यता के जो आवेदन पत्र अनुमोदन हेतु निदेशालय भिजवाए जाने हैं उन विद्यालयों की सूचना ऑनलाइन दर्ज कर दें तथा पत्रावलियों को तत्काल निदेशालय प्रेषित कर दें।
- 7.3 निदेशालय द्वारा अनुमोदन हेतु प्राप्त पत्रावलियों की सूचना ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा जिन पत्रावलियों पर अनुमोदन दिया जाएगा उनकी सूचना भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
- 7.4 मान्यता के जिन प्रकरणों में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है वह प्रकरण निदेशालय द्वारा अपना अभिमत दर्ज कर ऑनलाइन/ सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई./सी.ए.आई.ई. से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में पत्रावलि या राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे।
- 7.5 यदि किसी विद्यालय के मान्यता आवेदन में एक से अधिक विकल्पों का चयन किया गया है तो राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त शेष विकल्पों का अनुमोदन निदेशालय द्वारा किया जाएगा तथा प्रकरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा।

अध्याय-6 मान्यता प्रमाण-पत्र/निरस्ति प्रमाण पत्र जारी करना

8. **विद्यालयों को मान्यता प्रमाण-पत्र जारी करना:-**
- 8.1 जिन प्रतिवेदनों में निरीक्षण दल द्वारा मान्यता दिए जाने हेतु स्पष्ट अभिषंशा की है। तथा उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी मान्यता दिए जाने की अभिषंशा की गयी है उन संस्थाओं/विद्यालयों को गुणावगुण एवं समीक्षा के पश्चात् निदेशालय द्वारा मान्यता दिए जाने का अनुमोदन अथवा मान्यता हेतु अपात्र किया जायेगा। मान्यता अथवा अपात्र होने की सूचना एन.आई.सी द्वारा पोर्टल पर एवं मैसेज द्वारा संबंधित संस्था को 4 कार्य दिवस में दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 8.2 ऐसे पात्र विद्यालयों के लिए आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट मान्यता अनुमोदन के 7 दिवस से पूर्व अथवा मान्यता दिए जाने की अंतिम तिथि जो भी पहले है तक जमा कराने हेतु संबंधित संस्था को पत्र भेजा जाएगा।
- 8.3 निर्धारित तिथि तक आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। जिन संस्थाओं से निर्धारित तिथि तक यह दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं वह विद्यालय मान्यता के लिए अपात्र हो जाएंगे। इसकी सूचना एन.आई.सी द्वारा पोर्टल पर एवं मैसेज द्वारा संबंधित संस्था को दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 8.4 उपरोक्त दस्तावेजों के विवरण की ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद इन विद्यालयों को मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्रिंट होगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।
- 8.5 जिन विद्यालयों की मान्यता के लिए निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है उन विद्यालयों को मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रारम्भ की जाएगी जो उपरोक्तानुसार ही रहेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय द्वारा भी इनको सूचित किया जाएगा।
- 8.6 समस्त विद्यालयों की मान्यताएं निर्धारित तिथि तक तथा यथा संभव एक साथ जारी की जाएंगी। निर्धारित तिथि तक मान्यता का कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. **मान्यता हेतु अपात्र संस्थाओं को सूचित करना:-** जिन विद्यालयों के आवेदन को निरीक्षण के दौरान अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अथवा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने योग्य नहीं पाया गया है उनकी सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जाए तथा इस सूचना का पत्र ऑनलाइन प्रिंट कर आवेदनकर्ता सोसाइटी को भी प्रेषित किया जाएगा।

10. सत्र 2019–20 के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता के साथ सी.बी.एस.ई./सी.आई.एस.सी.ई./सी.ए.आई.ई.से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए टाइम फ्रेम

क्र.सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	संबंधित कार्यालय
1.	विज्ञप्ति प्रसारित करना	11 फरवरी 2019	संबंधित निदेशालय
2.	ऑन लाइन आवेदन कर सूचना लॉक करना	18 फरवरी 2019	सम्बन्धित संस्था
3.	संस्था द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित जि.शि.अ. कार्यालय में जमा कराना	20 फरवरी 2019	सम्बन्धित संस्था/जि.शि.अ. कार्यालय
6.	आवेदन पत्रों की ऑनलाइन जाँच, सत्यापन दलों का गठन एवं संस्थाओं का भौतिक सत्यापन एवं अपलोड करना	4 मार्च 2019	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
7.	मान्यता का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करना	6 मार्च 2019	संबंधित निदेशालय/राज्य सरकार
8.	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डीडी. व फिक्सड डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना	11 मार्च 2019	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशालय
9.	मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना	13 मार्च 2019	संबंधित जिशिअ. कार्यालय/निदेशालय
10.	मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित करना एवं एन.आई.सी के माध्यम से सूचित कराना	14 मार्च 2019	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
11.	पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन शुल्क रुपये 10,000/- सहित परिवेदना निदेशक को प्रस्तुत करना (शुल्क का ड्राफ्ट संबंधित निदेशक प्राशि./माशि. के नाम)	27 मार्च 2019	संबंधित संस्था, निदेशालय
12.	पुनः निरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण की समस्त कार्यवाही सम्पादित करना	10 अप्रैल 2019	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशालय

नोट-1:- जो शिक्षण संस्थाएँ वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार से मान्यता के साथ ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सी.आई.एस.सी.ई./सी.ए.आई.ई. से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहती है, उन शिक्षण संस्थाओं को आवेदन करते समय निर्धारित शुल्क एवं विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन दिनांक 18 फरवरी, 2019 तक करना होगा। विलम्ब शुल्क रु. 75000/- (सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर) के नाम जमा करावें।

- 2:- उपरोक्त टाइम फ्रेम का पालन विद्यालयों एवं कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। विद्यालयों द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने की स्थिति में मान्यता हेतु अपात्र हो जाएंगे तथा कार्यालय स्तर पर टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी/कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 3:- पुनः निरीक्षण परिवेदना के लिए जमा कराया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

11.सत्र 2019–20 के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम/स्थान/नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय इत्यादि) हेतु टाइम फ्रेम

क्र.सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	संबंधित कार्यालय
1.	विज्ञप्ति प्रसारित करना	11 फरवरी 2019	संबंधित निदेशालय
2.	ऑन लाइन आवेदन कर सूचना लॉक करना	11 मार्च 2019	सम्बन्धित संस्था
3.	संस्था द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित जि.शि.अ. कार्यालय में जमा कराना	15 मार्च 2019	सम्बन्धित संस्था/जि.शि.अ. कार्यालय
4.	विलम्ब शुल्क (रूपये 5,000 एवं 10,000 सहित माध्यमिक शिक्षा हेतु एवं रूपये 1,000 एवं 1,500 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग हेतु) सहित आवेदन करना	18 मार्च 2019 एवं 20 मार्च 2019	संबंधित संस्था
5.	विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित जि.शि.अ. कार्यालय में जमा करवाना	22 मार्च 2019	सम्बन्धित संस्था/जि.शि.अ. कार्यालय
6.	आवेदन पत्रों की ऑनलाइन जाँच, सत्यापन दलों का गठन, संस्थाओं का भौतिक सत्यापन एवं रिपोर्ट अपलोड करना	10 अप्रैल 2019 तक	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
7.	मान्यताओं का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करना	20 अप्रैल 2019 तक	संबंधित निदेशालय
8.	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डीडी. व फिक्सड डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना	27 अप्रैल 2019 तक	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशालय
9.	मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना	30 अप्रैल 2019 तक	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
10.	मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित करना एवं एन.आई.सी. के माध्यम से सूचित कराना	30 अप्रैल 2019	संबंधित जिशिअ. कार्यालय
11.	पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन शुल्क रूपये 10,000/- सहित परिवेदना निदेशक को प्रस्तुत करना।	15 मई 2019'	संबंधित संस्था
12.	पुनः निरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण की समस्त कार्यवाही सम्पादित करना	30 मई 2019	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशालय

नोट:-1:- उपरोक्त टाइम फ्रेम का पालन विद्यालयों एवं कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। विद्यालयों द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने की स्थिति में मान्यता हेतु अपात्र हो जाएंगे तथा कार्यालय स्तर पर टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी/कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी

2:- पुनः निरीक्षण परिवेदना के लिए जमा कराया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

गैर-सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय).....(जिले का नाम)

विषय:-शैक्षिक सत्र 2019-20 से.....(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि (सोसाइटी का पूरा नाम)

एक विद्यालय.....(विद्यालय का पूरा नाम)

.....(विद्यालय का पूरा पता)

में संचालित करती है/करना चाहती है।

सोसाइटी इस विद्यालय की(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान्यता शुल्क.....(राशि रूपये में) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्यादिनांक / /

एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन कर अनुरोध है कि विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2019-20 से.....

.....(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर) की मान्यता देने का श्रम करें।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांक:.... / /

संलग्न:उपरोक्तानुसार

सोसाइटी के सचिव के हस्ताक्षर
(सोसाइटी के सचिव का पूरा नाम)
सोसाइटी की मोहर

हस्ताक्षर
सोसाइटी सचिव

आवेदन का प्रकार

1.	नवीन मान्यता का स्तर(प्राथमिक 1 से 5/ उच्च प्राथमिक 1 से 8/ क्रमोन्नति 6 से 8)
2.	मान्यता का माध्यम(हिन्दी / अंग्रेजी)
3.	क्या विद्यालय मान्यता के वर्ष से ही कक्षा-6 के साथ 7 एवं 8 संचालित करना चाहता है ?(हां / नहीं)

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण:-

क्र.स.	दस्तावेज का विवरण
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
02.	सोसायटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
04.	विद्यालय नवीन मान्यता / क्रमोन्नति / नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादि के संबंध में कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
05.	विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे की सत्यापित प्रति
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं.9(1) शिक्षा-5 / भूमि रूपान्तरण / 2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 में प्रदत्त छूट यथावत)
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति
10.	विद्यालय भवन व खेल मैदान का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
11.	विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षों की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)
12.	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
13.	मान्यता शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट

हस्ताक्षर
सोसायटी सचिव

आवेदन पत्र क्रमांक..... विद्यालय का नाम..... परिशिष्ट-1

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण:-

क्र.स.	दस्तावेज का विवरण
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
02.	सोसायटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
03.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र एवं ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
04.	शपथ पत्र
05.	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।

गैर-सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु विस्तृत आवेदन पत्र

1. विद्यालय विवरण					
1.1 आवेदन दिनांक / /					
1.2 आवेदन का प्रकार		○ 1 to 5		○ 1 to 8	
1.3 क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा-6 के साथ कक्षा-7 एवं 8 भी संचालित करना चाहता है				○हाँ	○नहीं
1.4 जिला				1.5 ब्लॉक	
1.6 ग्राम पंचायत/यु. एल. बी.				1.7 ग्राम/वार्ड	
1.8 विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)					
1.9 विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)					
1.10 विद्यालय का स्थान (पूरा पता)					
1.11 ग्राम /शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है				1.12 नजदीकी पुलिस थाने का नाम	
1.13 ग्राम/शहर का एसटीडी कोड				1.14 विद्यालय का फोन नम्बर	
1.15 विद्यालय का ई-मेल				1.16 विद्यालय की वेबसाइट	
1.17 मान्यता हेतु विद्यालय का प्रकार		○Girls	○Co-Edu	1.18 मान्यता हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	
1.19 संस्था प्रधान का नाम				1.20 संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर	
1.21 क्या विद्यालय मूक बधिर/दृष्टिहीन श्रेणी का है?		○हाँ	○नहीं	1.22 क्या विद्यालय जन जाति क्षेत्र में संचालित है?	
				○हाँ	○नहीं
2. सोसाइटी की सामान्य जानकारी					
2.1 संचालन कर्ता सोसायटी का नाम					
2.2 सोसायटी पंजीयन संख्या				2.3 पंजीयन वर्ष एवं दिनांक	
2.4 सोसायटी का पूरा पता					
2.5 सोसायटी का दूरभाष					
2.6 अध्यक्ष का नाम				2.7 अध्यक्ष का मोबाइल नम्बर	
2.8 सचिव का नाम				2.9 सचिव मोबाइल नम्बर	
2.10 क्या सोसायटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलना सम्मिलित है				○हाँ	○नहीं
2.11 क्या शाषी परिषद की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है				○हाँ	○नहीं
3. शुल्क का विवरण					
3.1 मान्यता शुल्क की राशि				डीडी नम्बर/दिनांक	बैंक/ब्रांच
3.2 बालिका फाउण्डेशन की राशि				डीडी नम्बर/दिनांक	बैंक/ब्रांच
3.3 सावधि जमा (एफडी) की राशि				एफडी नम्बर/दिनांक	बैंक/ब्रांच
4. विद्यालय भवन से सम्बन्धित जानकारियां					
4.1 विद्यालय भवन की स्थिति		○ स्वयं सोसायटी का ○ किराये पर		4.2 क्या विद्यालय भवन/अन्य निर्माण/खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	
4.3 विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (in Sq. Mt)				4.4 विद्यालय में निर्मित भवन (सभी दलों सहित) का कुल क्षेत्रफल (in Sq. Mt)	
4.5 विद्यालय भवन की भूमि रूपान्तरण का प्रकार		○ कृषि ○ वाणिज्यिक	○ आवासीय ○ संस्थानिक	4.6 खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	
4.7 क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है?		○हाँ	○नहीं	4.8 क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है	
4.9 भवन का नक्शा सार्वजनिक		○हाँ	○नहीं	4.9.1 अभियंता का नाम	

निर्माण विभाग/राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से प्रमाणित है				
4.9.2 अभियंता का पद			4.9.3 अभियंता का पदस्थापन स्थान	
4.9.4 अभियंता का मोबाइल नम्बर				
4.10 भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग/राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	4.10.1 अभियंता का नाम	
4.10.2 अभियंता का पद			4.10.3 अभियंता का पदस्थान स्थान	
4.10.4 अभियंता का मोबाइल नम्बर			4.11 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालत उपलब्ध में है।	<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
4.12 क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है	<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं		4.13 क्या विद्यालय भवन परिसर के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन गुजर रही हैं?	<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
5. पेयजल/सैनिटरी सुविधा का विवरण				
5.1 विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है?	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	5.2 यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है	<input type="radio"/> नल का कनेक्शन <input type="radio"/> हैंडपंप/ट्यूबेल <input type="radio"/> टांका <input type="radio"/> टैंकर द्वारा
5.3 बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या			5.4 बालकों के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या	
6. अन्य विवरण				
6.1 कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं			6.2 कक्षों की संख्या जो गैर-शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	
6.3 पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या			6.4 पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या	
6.5 छात्रों के बैठने हेतु स्टूल/टेबल सेट की संख्या				
6.6 क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुँच हेतु सुविधाएँ उपलब्ध हैं?				<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
6.7 विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है?				<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
6.8 विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है?				<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
6.9 क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?				<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
6.10 क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है/करेगा?				<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
7. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण				
कक्ष का विवरण	कक्षों की संख्या		औसत साइज(In Sq. mt.)	
7.1 कक्षा कक्ष				
7.2 प्रधानाध्यापक कक्ष				
7.3 कार्यालय कक्ष				
7.4 अध्यापक कक्ष				
7.5 खेलकूद कक्ष				

7.6 भण्डार गृह													
7.7 सभा भवन													
7.8 पुस्तकालय/वाचनालय													
8. विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण													
क्र. सं.	कर्मचारी का वर्तमान पदनाम	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षणक योग्यता	क्या शिक्षक RTET/REET/CTET योग्यता प्राप्त है	नियुक्ति की तिथि	सैकण्डरी परीक्षा का रोल नम्बर	सैकण्डरी उत्तीर्ण का वर्ष	कर्मचारी का मोबाइल नम्बर	कर्मचारी का वर्तमान विषय
1													
2													

आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

गैर सरकारी विद्यालय की क्रमोन्नति व अन्य मान्यता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय).....(जिले का नाम)

विषय:-शैक्षिक सत्र 2019-20 से (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/माध्यम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/नाम/वर्गपरिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/अति. विषय) के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि(सोसायटी का पूरा नाम)
एक विद्यालय.....(विद्यालय का पूरा नाम)
.....(विद्यालय का पूरा पता)
में संचालित करती है।

सोसायटी इस विद्यालय की.....(प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/माध्यम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/वर्ग/नाम परिवर्तन/ अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त विषय) के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान्यता शुल्क.....(राशि रूपये में) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक...../...../.....एवं आवश्यक संलग्नों सहित आवेदन कर अनुरोध है कि विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2019-20 से(प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्चमाध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/माध्यम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/वर्ग/नाम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त विषय) की मान्यता देने का श्रम करें।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांक...../...../.....
संलग्न:-उपरोक्तानुसार

सोसायटी के सचिव के हस्ताक्षर
(सोसायटी के सचिव का पूरा नाम)
सोसायटी की मोहर

आवेदन का प्रकार

1. क्रमोन्नति

वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा वांछित क्रमोन्नति का स्तर (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक)

2. माध्यम परिवर्तन

विद्यालय का वर्तमान माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)	विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा वांछित माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

3. स्थान परिवर्तन

विवरण	विद्यालय के वर्तमान स्थान का विवरण	विद्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु वांछित स्थान का विवरण
जिला		
ब्लॉक		
ग्राम पंचायत/यू एल बी		
ग्राम /वार्ड		
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)		
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का/किराए पर)		
वर्तमान स्थान से वांछित स्थान की दूरी (कि.मी. में)		

4. नाम परिवर्तन

वर्तमान में विद्यालय का नाम	विद्यालय द्वारा वांछित नाम

5 अतिरिक्त माध्यम

विद्यालय का वर्तमान माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)	विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)

6. अतिरिक्त विषय

पूर्व मान्यता अनुसार विद्यालय में संकाय	पूर्व मान्यता अनुसार संकाय में स्वीकृत विषय	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त विषय

7. अतिरिक्त संकाय

पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में संकाय	पूर्व मान्यता अनुसार संकाय के विषय	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त संकाय	वांछित अतिरिक्त संकाय के विषय

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण –

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	सोसाइटी की नवीनतम कार्यकारणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
4	विद्यालय नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादी के सम्बन्ध में कार्यकारणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
5	विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
6	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसाइटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति
7	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे की सत्यापित प्रति
8	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(1) शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 में प्रदत्त छूट यथावत)
9	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
10	विद्यालय भवन व खेल मैदान के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
11	विद्यालय के आय-व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षों की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
12	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
13	मान्यता शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण –

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र एवं ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
4	विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण-पत्र
5	शपथ पत्र
6	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।

गैर-सरकारी विद्यालय की क्रमोन्नति व अन्य मान्यता हेतु आवेदन पत्र

9. विद्यालय विवरण					
1.1 आवेदन दिनांक / /					
1.2 आवेदन का प्रकार		<input type="radio"/> क्रमोन्नति (6 से 8) (9 से 10) (11 से 12) <input type="radio"/> स्थान परिवर्तन/अतिरिक्त विषय/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त माध्यम/वर्ग परिवर्तन/नाम परिवर्तन			
1.3 क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा-6 के साथ कक्षा-7 एवं 8/कक्षा-9 के साथ कक्षा-10/कक्षा-11 के साथ कक्षा-12 भी संचालित करना चाहता है					<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
1.4 जिला		1.5 ब्लॉक			
1.6 ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.		1.7 ग्राम/वार्ड			
1.8 विद्यालय का पूरा नाम(अंग्रेजी में)					
1.9 विद्यालय का पूरा नाम(हिन्दी में)					
1.10 क्या विद्यालय मूक बधिर/दृष्टिहीन विद्यालय श्रेणी का है?					<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
1.11 क्या विद्यालय जनजाति क्षेत्र में संचालित है?					<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
1.12 विद्यालय का स्थान(पूरा पता)					
1.13 ग्राम/शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है		1.14 नजदीकी पुलिस थाने का नाम			
1.15 ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		1.16 विद्यालय का फोन नम्बर			
1.17 यूडाइस (UDISE) कोड यदि है तो		1.18 विद्यालय का स्थापना वर्ष			
1.19 विद्यालय का ई-मेल		1.20 विद्यालय की वेबसाइट			
1.21 संस्था प्रधान का नाम		1.22 संस्था प्रधान का मोबाइल नम्बर			
2. सोसाइटी की सामान्य जानकारी					
2.1 संचालनकर्ता सोसायटी का नाम					
2.2 सोसायटी पंजीयन संख्या		2.3 पंजीयन वर्ष एवं दिनांक			
2.4 सोसायटी का पूरा पता					
2.5 सोसायटी का दूरभाष					
2.6 अध्यक्ष का नाम		2.7 अध्यक्ष का मोबाइल नम्बर			
2.8 सचिव का नाम		2.9 सचिव का मोबाइल नम्बर			
2.10 क्या क्रमोन्नति/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय/माध्यम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन अतिरिक्त माध्यम/वर्ग परिवर्तन/नाम परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन हेतु विद्यालय की प्रबंध समिति ने अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया है।					<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं
3. गत तीन वित्तीय वर्षों का आय/व्यय का विवरण					
क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय	सरप्लस/डेफिसिट	
1					
2					
3					
4. पूर्व संचालित मान्यता से सम्बन्धित जानकारी					
4.1 अंतिम विभागीय मान्यता आदेश संख्या		अंतिम विभागीय मान्यता आदेश दिनांक			
4.2 पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी		<input type="radio"/> Primatry (1-5) <input type="radio"/> Pr.Up Pr. And Secondary Only (1-10)		<input type="radio"/> Primary with Upper Primary (1-8) <input type="radio"/> Pr.with Up. Pr.sec. and Sen.Sec.(1-12)	
4.3 पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का प्रकार		<input type="radio"/> Girls <input type="radio"/> Co-Edu	पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम		<input type="radio"/> Hindi <input type="radio"/> English <input type="radio"/> Both
4.4 विद्यालय राजस्थान बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त है		<input type="radio"/> हाँ <input type="radio"/> नहीं	यदि है तो, बोर्ड से प्राप्त संबद्धता का विद्यालय कोड		
4.5 नवीनतम आरटीई मान्यता आदेश संख्या			नवीनतम आरटीई मान्यता आदेश		

		दिनांक			
4.6 पूर्व मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में संचालित संकाय		○ विज्ञान		अध्यापन विषय :	
				1.....2..... 3..... 4.....5..... 6.....	
		○ वाणिज्य		अध्यापन विषय :	
				1.....2..... 3..... 4.....5..... 6.....	
		○ कला		अध्यापन विषय :	
				1.....2..... 3..... 4.....5..... 6..... 7.....8..... 9.....	
5. शुल्क का विवरण					
5.1 मान्यता शुल्क		डी.डी.नं/ दिनांक		बैंक/ब्रांच	
5.2 बालिका फाउंडेशन		डी.डी.नं/ दिनांक		बैंक/ब्रांच	
5.3 सावधि जमा(FD)		डी.डी.नं/ दिनांक		बैंक/ब्रांच	
6. विद्यालय भवन से सम्बन्धित जानकारियाँ					
6.1 विद्यालय भवन की स्थिति	○ स्वयं सोसायटी का ○ किराये पर		6.2 क्या विद्यालय भवन/अन्य निर्माण/खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	○हाँ	○ नहीं
6.3 विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल(In Sq. Mt.)			6.4 विद्यालय में निर्मित भवन (सभी दलों सहित) का कुल क्षेत्रफल (In Sq. Mt.)	○हाँ	○ नहीं
6.5 विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	○ कृषि ○ वाणिज्यिक	○ आवासीय ○ संस्थानिक	6.6 क्या विद्यालय में छात्रावास संचालित है?	○हाँ	○ नहीं
6.7 खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	○ स्वयं सोसायटी का ○ किराये पर ○ सार्वजनिक पार्क		6.8 खेल मैदान का कुल क्षेत्रफल (In Sq. Mt.)		
6.9 क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है?	○हाँ	○ नहीं	6.10 क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है?	○हाँ	○ नहीं
6.11 भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	○हाँ	○ नहीं	6.11.1 अभियंता का नाम		
6.11.2 अभियन्ता का पद			6.11.3 अभियन्ता का पदस्थापन		
6.11.4 अभियन्ता का मोबाइल नम्बर					
6.12 भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राजकीय उपक्रम/ हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	○हाँ	○ नहीं	6.12.1 अभियंता का नाम		
6.12.2 अभियन्ता का पद			6.12.3 अभियन्ता का पदस्थापन		
6.12.4 अभियन्ता का मोबाइल नम्बर			6.13 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है?	○हाँ	○ नहीं
6.14 क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है?	○हाँ	○ नहीं	6.15 क्या विद्यालय भवन परिसर के ऊपर से	○हाँ	○ नहीं

			हाईटेन्शन विद्युत लाईन गुजर रही हैं?		
7. पेयजल/सैनिटरी सुविधा का विवरण					
7.1 विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु उचित व्यवस्था है?	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	7.2 यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है	<input type="radio"/> नल का कनेक्शन	<input type="radio"/> हैंडपंप/ट्यूबेल
				<input type="radio"/> टांका	<input type="radio"/> टैंकर द्वारा
7.3 बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या			7.4 बालकों के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या		
8.अन्य विवरण					
8.1 कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	पूर्ण निर्मित	अर्ध निर्मित	8.2 कक्षों की संख्या जो गैर-शिक्षण के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	पूर्ण निर्मित	अर्ध निर्मित
8.3 पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या			8.4 पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या		
8.5 क्या विद्यालय में लाइब्रेरियन नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.6 क्या विद्यालय में लिपिक नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.7 क्या विद्यालय में पीटीआई नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.8 क्या विद्यालय में लैब असिस्टेंट नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.9 क्या विद्यालय में लैब बॉय नियुक्त हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं			
8.10 विद्यालय में सह-शैक्षणिक गतिविधि					
8.10.1 एनसीसी	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.10.2 स्काउट	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.10.3 एनएसएस	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.10.4 ईको क्लब	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.11 क्या विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध हैं	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं	8.12 विद्यार्थियों के बैठने हेतु सिंगल सीटड फर्नीचर की संख्या	<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.13 क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुँच हेतु सुविधाएँ उपलब्ध हैं?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.14 विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.15 विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.16 क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
8.17 क्या विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है?				<input type="radio"/> हाँ	<input type="radio"/> नहीं
9. इंप्रोस्ट्रक्चर का विवरण					
कक्ष का विवरण	कक्षों की संख्या	औसत साइज			
		लम्बाई (in. Sq. Mt)	चौड़ाई (in. Sq. Mt)		
9.1 कक्षा कक्ष					
9.2 प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य कक्ष					
9.3 कार्यालय कक्ष					
9.4 अध्यापक कक्ष					
9.5 खेलकूद कक्ष					
9.6 भण्डार गृह					
9.7 सभा भवन					
9.8 पुस्तकालय/वाचनालय					
9.9 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष					
9.10 रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष					
9.11 जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष					
9.12 कृषि विषय के लिए अतिरिक्त प्रयोगशाला : कृषि भूमि सुविधा सिंचाई सुविधायुक्त, औजार एवं बीज भण्डार।					
10. विद्यार्थी का नामांकन विवरण					

क्र.	कक्षा	कुल नामांकन	आरटीई में नामांकन	वार्षिक शुल्क									
1	PP3+/LKG/Nur												
2	PP4+/UKG/KG												
3	PP5+/PREP/HKG												
4	I												
5	II												
6	III												
7	IV												
8	V												
9	VI												
10	VII												
11	VIII												
12	IX												
13	X												
14	XI Science												
15	XII Science												
16	XI Comm.												
17	XII Comm.												
18	XI Arts												
19	XII Arts												
11. विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण													
क्र. सं.	कर्मचारी का वर्तमान पदनाम	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशैक्षणिक योग्यता	क्या शिक्षक RTET/REET/CTET योग्यता प्राप्त है	नियुक्ति की तिथि	सैकण्डरी परीक्षा का रोल नम्बर	सैकण्डरी उत्तीर्ण का वर्ष	कर्मचारी का मोबाइल नम्बर	कर्मचारी का वर्तमान विषय
1													
2													
3													
4													
5													

आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम/वर्ग/स्थान/नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय इत्यादि) हेतु न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएँ

क्र. सं.	विवरण	मान्यता का प्रकार									
		नवीन मान्यता		क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम मा./उ. मा.	अतिरिक्त संकाय उ. मा.	अतिरिक्त विषय उ. मा. वि.	स्थान परिवर्तन	वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च प्राथमिक स्तर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कक्षा कक्ष	2	5	5	14 कक्ष (6X8) वर्ग मी0 प्रत्येक कक्ष	16 कक्ष (6X8) वर्ग मी0 प्रत्येक कक्ष	अतिरिक्त कक्ष होने पर	छात्र व्यवस्था हेतु कक्ष अनिवार्य	छात्र व्यवस्था हेतु कक्ष अनिवार्य	छात्र व्यवस्था हेतु कक्ष अनिवार्य	-
2	कार्यालय सह भंडार कक्ष	1	1	1	64 वर्ग मीटर	64 वर्ग मीटर	-	-	-		-
3	शौचालय/मूत्रालय (बालकों के लिए)	1	1	1	80 पर एक शौचालय/ 20 पर एक मूत्रालय	80 पर एक शौचालय/ 20 पर एक मूत्रालय	-	-	-		-
4	शौचालय/मूत्रालय (बालिकाओं के लिए)	1	1	1	40 पर एक शौचालय/ 20 पर एक मूत्रालय	40 पर एक शौचालय/ 20 पर एक मूत्रालय	-	-	-		-
5	सुरक्षित एवं पर्याप्त पीने योग्य पानी की सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-		-
6	खेल का मैदान एवं खेल का सामान	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-		-
7	चारदीवारी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-		-
8	पुस्तकालय सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-		-
9	शिक्षण अधिगम सामग्री	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-		-
10	अग्नि शमन यंत्र की स्थापना एवं इसके परिचालन का स्टाफ को प्रशिक्षण। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य	-	-	-		-
11	संस्था के परिसर से विद्युत की हाईटेंशन लाइन नहीं गुजर रही हो। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-		-
12	संस्था के परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं है। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-		-

परिशिष्ट- 4

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम/वर्ग/स्थान/नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय इत्यादि) हेतु आवश्यक शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द

विवरण	मान्यता का प्रकार								
	नवीन मान्यता		क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम	अतिरिक्त संकाय	अतिरिक्त विषय	वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-1)/व्याख्याता	-	-	-	-	एक संकाय में 3 एवं विषयानुसार	विषयानुसार	विषयानुसार	विषयानुसार	-
शिक्षक (Grade-2)/वरिष्ठ अध्यापक	-	-	-	वरि. अध्यापक - 3 विषयानुसार	वरि. अध्यापक -3 विषयानुसार	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-2) सेकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से अधिक विषय नहीं पढायेगा।	-	3 (Science/Mathematics-1, Social studies-1, Language-1)	3 (Science/Mathematics-1, Social studies-1, Language-1)	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-1)	2	2	-	छात्र अनुपात अनुसार	छात्र अनुपात अनुसार	-	-	-	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	-	-	-	1	1 वरि. पुअ.	-	-	-	-
लिपिक ग्रेड-1	-	-	-	500 छात्र संख्या तक एक लिपिक ग्रेड-1 और अधिक पर दो लिपिक ग्रेड-2	900 तक एक वलि तथा तीन कलि	-	-	-	-
लिपिक ग्रेड-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रयोगशाला सहायक	-	-	-	-	3	-	-	-	-
प्रयोगशाला सेवक	-	-	-	-	3	-	-	-	-
गृह विज्ञान हेतु पृथक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	-	-	-	1	-	-	-	-
सहायक कर्मचारी	-	-	-	1	1	-	-	-	-

सत्र 2019–20 हेतु नवीन मान्यता के लिए संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	नवीन मान्यता	
	प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5)	उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5 के बाद कक्षा 6 प्रारम्भ करने के लिए)
1	2	3
मान्यता आवेदन शुल्क (डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.मुख्यालय/मा. शि.मुख्यालय के नाम)	2500	2,500
मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन	—	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40000/— अतिरिक्त मान्यता शुल्क
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	15,000	15,000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ. के नाम से)	50,000	1,00,000

नोट:— उपर्युक्तानुसार मान्यता के लिए निर्धारित शुल्क के साथ संस्था द्वारा पोर्टल हेतु राशि रु. 1000/— डी.डी. के रूप में निदेशालय के नाम से जमा करानी होगी।

सत्र 2019–20 हेतु क्रमोन्नति के लिए संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	क्रमोन्नति		
	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 के लिए)	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 के लिए)	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 के लिए)
1	2	3	4
क्रमोन्नति आवेदन शुल्क (डी. डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.मुख्यालय/मा. शि.मुख्यालय के नाम)	2500	20,000	25,000
क्रमोन्नति की मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40000/— अतिरिक्त मान्यता शुल्क	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 10 के संचालन हेतु 40000/— अतिरिक्त मान्यता शुल्क	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 12 के संचालन हेतु 40000/— अतिरिक्त मान्यता शुल्क
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	15,000	60,000	1,00,000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ. के नाम से)	1,00,000	3,00,000	3,00,000

नोट:— उपर्युक्तानुसार मान्यता के लिए निर्धारित शुल्क के साथ संस्था द्वारा पोर्टल हेतु राशि रु. 1000/— डी.डी. के रूप में निदेशालय के नाम से जमा करानी होगी।

सत्र 2019—20 हेतु अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय हेतु संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूप में)

फीस का विवरण	अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय		
	अतिरिक्त माध्यम	अतिरिक्त संकाय	अतिरिक्त विषय
1	2	3	4
अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन शुल्क (डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.मुख्यालय/मा.शि.मुख्यालय के नाम)	प्रा.—6,000 उ.प्रा.—9,000 मा.(1—10)— 15,000 मा.(6—10)— 10,000 उ.मा.(1—12)— 20,000 उ.मा.(6—12)— 15,000	25,000 प्रति संकाय	8,000 प्रति विषय
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	—	75,000 प्रति संकाय	—

नोट:— उपर्युक्तानुसार मान्यता के लिए निर्धारित शुल्क के साथ संस्था द्वारा पोर्टल हेतु राशि रु. 1000/— डी.डी. के रूप में निदेशालय के नाम से जमा करानी होगी।

सत्र 2019—20 हेतु स्थान परिवर्तन/वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन के लिए संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूप में)

फीस का विवरण	स्थान परिवर्तन/वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन		
	स्थान परिवर्तन (उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 किमी की दूरी तक)	स्थान परिवर्तन (उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 किमी से अधिक दूरी)	वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन
1	2	3	4
स्थान परिवर्तन/वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन आवेदन शुल्क (डी.डी. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.मुख्यालय/मा.शि.मुख्यालय के नाम)	प्रा.—6,000 उ.प्रा.—9,000 मा.—12,000 उ.मा.—20,000	प्रा.—6,000 उ.प्रा.—9,000 मा.—12,000 उ.मा.—20,000	प्रा.—6,000 उ.प्रा.—9,000 मा.—12,000 उ.मा.—20,000
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	—	प्रा.—4,000 उ.प्रा.—6,000 मा.—7,000 उ.मा.—10,000	—

नोट:— उपर्युक्तानुसार मान्यता के लिए निर्धारित शुल्क के साथ संस्था द्वारा पोर्टल हेतु राशि रु. 1000/— डी.डी. के रूप में निदेशालय के नाम से जमा करानी होगी।

सीबीएसई / सीआईएससीई / सीएआईई से सम्बद्धता हेतु शुल्क का विवरण
(रूपये में)

फीस का विवरण	राशि (रूपये में)
1	2
आवेदन शुल्क (सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट)	10,000 / -
अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क (सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट)	30,000 / -
कक्षा-6, 7 एवं 8 में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के न्यूनतम सत्र के अनुभव में शिथिलन चाहने पर अतिरिक्त शुल्क (सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट)	15,000 / - (एक सत्र के शिथिलन पर) 25,000 / - (दो सत्र के शिथिलन पर) 35,000 / - (तीन सत्र के शिथिलन पर)
विलम्ब शुल्क (सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट)	75000 / -

शपथ पत्र का प्रारूप

(यह शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)

मैं..... पिता/पति..... सोसायटी का पुरा नाम व पता..... के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय(संस्था) का नाम व पता..... के सम्बन्ध में, मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि—

(नोट:—प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

01. संस्था भवन में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालय व मूत्रालय एवं शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।
02. संस्था के प्रबन्ध मण्डल/सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तथा ना ही भविष्य में भाग लेंगे।
03. संस्था भवन में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है। (रसीद संलग्न है)
04. संस्था परिसर में किसी प्रकार का मोबाईल टॉवर लगा हुआ नहीं है।
05. संस्था भवन व परिसर के ऊपर एवं आस-पास से विद्युत की हाई टेन्शन लाईन नहीं गुजर रही है।
06. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है एवं समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।
07. संस्था द्वारा राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 तथा बोर्ड की मान्यता संबंधी सभी भौतिक एवं वित्तीय शर्तों की पालना की जायेगी।
08. संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना की जायेगी।
09. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी।
10. संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तको द्वारा ही अध्ययन करवाया जायेगा।
11. संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलैन्डर का पालन किया जायेगा।
12. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 की पालना की जायेगी तथा विद्यार्थियों से निर्धारित फीस ही ली जायेगी।
13. संस्था के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
14. संस्था के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
15. संस्था में सभी शिक्षक पूर्ण रूप से योग्यताधारी एवं विषयानुसार नियुक्त है।
16. संस्था द्वारा किसी प्रकार के राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर नियमों के अन्तर्गत संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
17. विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा।
18. विद्यालय संचालन समिति द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण बाल वाहिनी के रूप में करवाया जायेगा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।
19. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की फीस निर्धारित कर प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है/नवीन मान्यता की स्थिति में प्रविष्टि कर दी जायेगी।

(नोट:—उपरोक्त की अतिरिक्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

20. संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है।
21. संस्था में लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विषयवार प्रयोगशाला सहायको की नियमानुसार नियुक्ति कर दी गई है।
22. संस्था में कम्प्यूटर व इंटरनेट (ब्राडबैंड) की व्यवस्था कर दी गई है।
23. संस्था द्वारा बिना विभाग की अनुमति के उच्च कक्षायें संचालित नहीं की जायेगी।
24. संस्था में नियुक्त अध्यापकों के वेतन से नियमानुसार पी.एफ. की कटौती की जायेगी।

यह है कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या..... से..... में वर्णित कथन मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है।

सचिव

समिति का नाम.....

समिति का रजिस्ट्रेशन नम्बर व वर्ष

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का विवरण -

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	सोसाइटी की नवीनतम कार्यकारणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि
4	विद्यालय नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम, स्थान, माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम, विषय, संकाय इत्यादी के सम्बन्ध में कार्यकारणी द्वारा लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति
5	विद्यालय को पूर्व में जारी समस्त प्रकार की मान्यताओं की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
6	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसाइटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति
7	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे की सत्यापित प्रति
8	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश की सत्यापित प्रति (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(1) शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 में प्रदत्त छूट यथावत)
9	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
10	विद्यालय भवन व खेल मैदान के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट नक्शे की प्रति
11	विद्यालय के आय-व्यय की सी.ए. द्वारा प्रमाणित गत तीन वर्षों की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
12	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
13	मान्यता शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट

आवेदन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों का विवरण -

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	सोसाइटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
2	सोसाइटी के विधान की सत्यापित प्रति जिसमें सोसाइटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।
3	विद्यालय भवन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति
4	विद्यालय का नवीनतम मान्यता प्रमाण-पत्र (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
5	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
6.	शपथ पत्र

CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)
.....।

महोदय,

उक्त वर्णित आवेदन के क्रम में विद्यालय से संबंधित सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. विद्यालय का नाम व पता :-.....
2. ई-मेल आईडी :-.....
3. विद्यालय को पूर्व में जारी मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक:-.....
4. अध्यापन का माध्यम :- हिन्दी / अंग्रेजी / दोनों
5. संचालन कर्ता सोसाइटी का नाम व पूर्ण विवरण :-
 1. नाम:-.....
 2. पता:-.....
 3. दूरभाष :-.....
 4. ई-मेल आईडी :-.....
 5. अध्यक्ष का नाम :-.....
 6. सचिव का नाम :-.....
6. विद्यालय के निकट स्थापित राजकीय उप्रावि./मावि./उमावि. की विद्यालय से दूरी..... किमी एवं नाम.....
7. संस्था का पंजीयन का विवरण :-
पंजीयन संख्या..... वर्ष दिनांक.....
8. संस्था संविधान के अनुसार संस्था संचालन का उद्देश्य
9. कार्यकारिणी में कुल सदस्य संख्या :-
10. कार्यकारिणी की अन्तिम बैठक दिनांक :-.....
11. गत 02 तिमाही में आयोजित बैठकों की दिनांक :- 1.....2.....
12. संस्था कार्यकारिणी द्वारा उपर्युक्तानुसार वर्णित आवेदन हेतु बैठक में लिये गये संबंधित प्रस्ताव हेतु आयोजित बैठक का विवरण:-

बैठक दिनांक	उपस्थित सदस्यों की संख्या	संबंधित पारित प्रस्ताव का विवरण

13. गत शैक्षिक सत्र.....में कुल नामांकित विद्यार्थियों का कक्षानुसार संख्यात्मक विवरण:-

क्र.सं.	कक्षा	प्रवेशित कुल छात्र संख्या	परीक्षा में प्रविष्ट छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	आरटीई अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेशित छात्र संख्या	सरकार द्वारा आरटीई के तहत पुनर्भरण की गई राशि

14. गत शैक्षिक सत्र..... में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानुसार प्रवेशित छात्र संख्या :-.....

15. कार्यरत स्टाफ की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्म तिथि	नियोजन तिथि	शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता	वेतनमान	कुल देय वेतन

16. फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस का विवरण :-

क्र. सं.	कक्षा (प्रत्येक कक्षा लिखें)	निर्धारित फीस राशि

17. अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन की स्थिति में सम्बद्धता लिये जाने वाले बोर्ड का नाम:-
(CBSE/CISCE/CAIE).....

18. विद्यालय भवन में कुल कमरों की संख्या:-

19. विद्यालय भवन का स्वामित्व विवरण:- स्वयं का स्वामित्व/लीजडीड/किराये पर.....

20. आवेदन शुल्क हेतु राजकोष में जमा चालान सं.....दिनांक.....राशि

उक्त के क्रम में वांछित दस्तावेज संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं। कृपया शैक्षिक सत्रसे विद्यालय का CBSE/CISCE/CAIE...से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को अग्रेषित करने का श्रम करावें। विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति जारी करने पर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा कराई जाने वाली राशि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने की सहमति भी प्रदान करता हूँ।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर संस्था सचिव

मय मोहर

संलग्न दस्तावेज सूची :-

1. संस्था के पंजीयन आदेश एवं विधान की प्रति।
2. विद्यालय परिसर एवं निर्मित कक्षा-कक्षा आदि का माप दर्शित करते हुए ब्लू प्रिंट।
3. विद्यालय भवन के सम्बन्ध में गत 6 माह की अवधि में सक्षम अधिकारी स्तर से जारी भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति।
4. फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस विवरण सम्बन्धी दस्तावेज।
5. विद्यालय भवन के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति।
6. नियोजित समस्त स्टाफ का संस्थापन विवरण मय शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता पद एवं नियोजन की स्थिति।
7. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
8. आरक्षित कोष पेटे जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त नाम से निर्धारित राशि की एफडीआर की प्रति।
9. संस्था की गत 03 वर्षों की सी.ए. द्वारा प्रदत्त ऑडिट रिपोर्ट।
10. विद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता आदेश की प्रति।
11. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवेदन के क्रम में पारित प्रस्ताव की प्रति।
12. विद्यालय भवन में मोबाइल टावर एवं हाईटेशन लाइन नहीं होने का प्रमाण-पत्र।
13. अग्निशमन यंत्र/रैम्प होने का प्रमाण-पत्र।
14. अन्य वांछित आवश्यक दस्तावेज।

:-शपथ पत्र :-

(100/- रुपये के स्टाम्प पर)

मनके.....पुत्र/पुत्री श्री.....जाति.....उम्र.....वर्ष स्थायी निवासी.....
.....(पूर्ण पता लिखें) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम 1993 और समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।
2. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सीआईएससीई से समबद्धता मिलने पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।
3. संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अक्षरशः पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गत दो वर्षों में.... छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा इनके विरुद्ध निम्नानुसार राशि राज्य सरकार से आहरित की गई

क्र. सं.	सत्र	कक्षा कक्षा की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या	आरटीई के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	संबंधित जिशिअ. द्वारा सत्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुर्नर्भरण की देय राशि	कुल पुनर्भरण की प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

4. विद्यालय परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगया जायेगा।
5. विद्यालय में पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता का अग्नि शमन यंत्र लगा हुआ है तथा इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।
6. विद्यालय परिसर के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।
7. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रेम्प निर्धारित मापदण्ड 1:10 मीटर में बना हुआ है।
8. विद्यालय द्वारा उक्त पालना नहीं करने पर अथवा भागीदारी नहीं निभाने पर शिक्षा विभाग राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के तहत विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मान्यता समाप्त करने/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित करने के लिए स्वतंत्र होगा। जिसके विरुद्ध संस्था द्वारा शिक्षा विभाग के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा।
9. भूमि रूपान्तरण के क्रम में शासन के पत्रांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरणस/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 के अनुसार पालना की गई है। भूमि संस्था के प्रयोजनार्थ संबंधित सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा रूपान्तरित है। भूमि के रूपान्तरण/नियमितकरण नहीं होने की दशा में एनओसी के संबंध में विचार नहीं किया जावे।
10. कार्यरत समस्त स्टाफ निर्धारित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।
11. नियोजित स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन-भत्तों/मानदेय इत्यादि का भुगातन जरिये बैंक खाता किया जाता है।
12. मान्यता मिलने के बाद विद्यालय द्वारा "राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन अधिनियम, 2016" एवं नियम, 2017 के तहत कक्षा एव माध्यम वार फीस का निर्धारण करवा लिया जायेगा।

यह कि पैरा 01 से 08 तक के बिन्दुओं में वर्णित मेरी सूचना मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख आधारित पूर्णतः सत्य है। मैने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है, न ही घटाया/बढ़ाया है।

ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर

शपथगृहिता
(सचिव संस्था)